अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या– 1/2017–18

द्वारिका प्रसाद विश्वकर्मा।

वनाम

दुर्योधन विश्वकर्मा एवं 3 अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद द्वारिका विश्वकर्मा, पिता– दुर्योधन विश्वकर्मा, निवासी मोहल्ला– तुरी टोला, पो०– चाईबासा, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Suit for declaration, partition and separate possession के लिए प्रतिवादी 1. दुर्योधन विश्वकर्मा, पिता– स्व० रामदेव विश्वकर्मा, 2. रंजना देवी, पति– दुर्योधन विश्वकर्मा, 3. विश्वनाथ विश्वकर्मा, पिता– दुर्योधन विश्वकर्मा, 4. पापली विश्वकर्मा, सभी का निवासी वक्तानगर, गली संख्या– 09, आदित्यपुर, पो०+थाना– आदित्यपुर, जिला– सरायकेला–खरसावाँ के विरूद्ध दायर किया गया है। यह वाद वादी द्वारा दायर करने के बाद एक बार भी अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा वाद पत्र में दर्शाये गये पते पर दोनों पक्षों को निबंधित डाक द्वारा दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 23.12.2021 को भी उभय पक्ष अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है की दोनों पक्षों को इस वाद में अभिरूची नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

23.12.2021
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:29:31 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner